# प्रेस नोट

## जनपद शाहजहाँपुर

## दिनांक-19.11.2026

**आगामी चुनाव के दृष्टिगत शाहजहाँपुर पुलिस की अपराधियों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही, 11 व्यक्तियों की खोली गई हिस्ट्रीशीट, आपराधिक गतिविधियों पर रखी जाएगी सतत निगरानी।**

आगामी चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सकुशल सम्पन्न कराने तथा जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशन में अपराधियों एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आपराधिक इतिहास एवं गतिविधियों के आधार पर व्यक्तियों को चिह्नित करते हुए कुल 11 व्यक्तियों की नई हिस्ट्रीशीट खोली गई हैं।

**हिस्ट्रीशीट खोली गई व्यक्तियों का विवरण एवं आपराधिक इतिहासः—**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | **रितिक पुत्र अजीत सिंह, उम्र 27 वर्ष, (HS No.-186-A), निवासी ग्राम बरीखास थाना मदनापुर, जनपद शाहजहाँपुर।** उक्त व्यक्ति एक शातिर किस्म का अपराधी है, जिसकी आपराधिक प्रवृत्ति मुख्यतः चोरी, नकबजनी जैसे संपत्ति संबंधी अपराधों तथा अवैध शस्त्र बनाने जैसे अपराधों में संलिप्त रहने की रही है। आसपास के जनपदों में भी नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देकर अवैध रूप से आर्थिक लाभ अर्जित करता है तथा संगठित रूप से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहता है। उक्त व्यक्ति के विरुद्ध जनपद शाहजहाँपुर, हरदोई, कानपुर नगर में नकबजनी जैसे संपत्ति संबंधी अपराधों, अवैध शस्त्र रखने तथा गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल 10 अभियोग पंजीकृत हैं। |  |
| 2. | **गुड्डू पुत्र हुलासी , उम्र 46 वर्ष, (HS No.-185-A), निवासी कस्बा व थाना मदनापुर, जनपद शाहजहाँपुर।** उक्त व्यक्ति की आपराधिक प्रवृत्ति मुख्यतः चोरी, लूट,डकैती एवं नकबजनी जैसे संपत्ति संबंधी अपराधों, लोगों को डराकर-धमकाकर अवैध रूप से धन अर्जित करने जैसे अपराधों में संलिप्त रहने की रही है। यह अपने साथियों के साथ मिलकर आसपास के जनपदों में भी उक्त प्रकार की घटनाओं को अंजाम देकर अवैध रूप से आर्थिक लाभ अर्जित करता है। उक्त व्यक्ति के विरुद्ध जनपद शाहजहाँपुर, बरेली में चोरी, लूट, डकैती एवं नकबजनी जैसे संपत्ति संबंधी अपराधों, तथा अन्य अपराधों से संबंधित कुल 13 अभियोग पंजीकृत हैं। |  |
| 3. | **अबरम पुत्र मुंशी, उम्र 35 वर्ष, (HS No.-183-A), निवासी ग्राम पंखाखेड़ा, थाना मदनापुर, जनपद शाहजहाँपुर।** उक्त व्यक्ति की आपराधिक प्रवृत्ति मुख्यतः चोरी, लूट, नकबजनी, एवं अवैध हथियारों के बल पर लोगों को डराने-धमकाने जैसे अपराधों में संलिप्त रहने की रही है। उक्त व्यक्ति के विरुद्ध जनपद शाहजहाँपुर, बरेली, फर्रूखाबाद में चोरी, नकबजनी, लूट एवं अवैध हथियारों के बल पर लोगों को डराने-धमकाने जैसे अपराधों एवं अन्य अपराधों से संबंधित कुल 09 अभियोग पंजीकृत हैं। |  |

| | | |
|---|---|---|
| 4. | **गुरुपाल पुत्र सुरेश, उम्र 29 वर्ष, (HS No.-184-A), निवासी ग्राम जिराऊ, थाना मदनापुर, जनपद शाहजहाँपुर।** उक्त व्यक्ति की आपराधिक प्रवृत्ति मुख्यतः चोरी, नकबजनी जैसे संपत्ति संबंधी अपराधों एवं अवैध शस्त्र रखने जैसे अपराधों में संलिप्त रहने की रही है। उक्त व्यक्ति के विरुद्ध जनपद शाहजहाँपुर,में हत्या का प्रयास घटनाओं एवं अन्य अपराधों से संबंधित कुल 07 अभियोग पंजीकृत हैं। |  |
| 5. | **गंगा सिंह पुत्र पुत्र फूल सिंह, उम्र 41 वर्ष, (HS No.-190-A), निवासी ग्राम ईशापुर थाना निगोही, जनपद शाहजहाँपुर।** उक्त व्यक्ति की आपराधिक प्रवृत्ति मुख्यतः चोरी, मादक पदार्थ तस्करी एवं नकबजनी जैसे संपत्ति संबंधी अपराधों तथा अवैध शस्त्र रखने जैसे अपराधों में संलिप्त रहने की रही है। यह अपने साथियों के साथ मिलकर संगठित गैंग बनाकर आसपास के जनपदों में भी उक्त प्रकार की घटनाओं को अंजाम देकर अवैध रूप से आर्थिक लाभ अर्जित करता है तथा संगठित रूप से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहता है। उक्त व्यक्ति के विरुद्ध जनपद शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद एवं गोरखपुर में चोरी, मादक पदार्थ तस्करी एवं नकबजनी जैसे संपत्ति संबंधी एवं अन्य अपराधों से संबंधित कुल 06 अभियोग पंजीकृत हैं। |  |
| 6. | **कृष्ण कुमार पुत्र मंगल गिरि, उम्र 56 वर्ष, (HS No.-191-A), निवासी ग्राम ईशापुर थाना निगोही, जनपद शाहजहाँपुर।** उक्त व्यक्ति की आपराधिक प्रवृत्ति मुख्यतः चोरी, नकबजनी जैसे संपत्ति संबंधी अपराधों एवं अवैध शस्त्र रखने जैसे अपराधों में संलिप्त रहने की रही है। यह अपने साथियों के साथ मिलकर संगठित गैंग बनाकर आसपास के जनपदों में भी चोरी एवं नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देकर अवैध रूप से आर्थिक लाभ अर्जित करता है तथा संगठित रूप से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहता है। उक्त व्यक्ति के विरुद्ध जनपद मुरादाबाद, कानपुर में चोरी, नकबजनी जैसे संपत्ति संबंधी अपराधों, अवैध शस्त्र रखने एवं अन्य अपराधों से संबंधित कुल 14 अभियोग पंजीकृत हैं। |  |
| 7. | **हरद्वारीलाल पुत्र जसवंत, उम्र 45 वर्ष, (HS No.-192-A), निवासी ग्राम ईशापुर थाना निगोही, जनपद शाहजहाँपुर।** उक्त व्यक्ति की आपराधिक प्रवृत्ति मुख्यतः चोरी, नकबजनी जैसे संपत्ति संबंधी अपराधों में संलिप्त रहने की रही है। यह अपने साथियों के साथ मिलकर आसपास के जनपदों में भी घटनाओं को अंजाम देकर अवैध रूप से आर्थिक लाभ अर्जित करता है तथा संगठित रूप से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहता है। उक्त व्यक्ति के विरुद्ध जनपद बरेली, खीरी में चोरी, नकबजनी एवं गैंगस्टर एक्ट जैसे अन्य अपराधों से संबंधित कुल 07 अभियोग पंजीकृत हैं। |  |
| 8. | **पर्वत गोसाई पुत्र अमर पाल, उम्र 51 वर्ष, (HS No.-193-A), निवासी ग्राम ईशापुर थाना निगोही, जनपद शाहजहाँपुर।** उक्त व्यक्ति की आपराधिक प्रवृत्ति मुख्यतः चोरी,नकबजनी एवं अवैध शस्त्र रखने जैसे अपराधों में संलिप्त रहने की रही है। यह आसपास के जनपदों में भी उक्त प्रकार की घटनाओं को अंजाम देकर अवैध रूप से आर्थिक लाभ अर्जित करता है तथा संगठित रूप से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहता है। उक्त व्यक्ति के विरुद्ध जनपद बस्ती, चन्दौली में चोरी जैसे संपत्ति संबंधी अपराधों, हत्या के प्रयास, अवैध शस्त्र रखने तथा गैंगस्टर एक्ट एवं अन्य अपराधों से संबंधित कुल 06 अभियोग पंजीकृत हैं। |  |

| | | |
|---|---|---|
| 9. | **मंगल पुत्र कृष्ण कुमार, उम्र 28 वर्ष, (HS No.-194-A), निवासी ग्राम ईशापुर थाना निगोही, जनपद शाहजहाँपुर।** उक्त व्यक्ति की आपराधिक प्रवृत्ति मुख्यतः चोरी,नकबजनी जैसे अपराधों में संलिप्त रहने की रही है। यह अपने साथियों के साथ मिलकर आसपास के जनपदों में भी उक्त प्रकार की घटनाओं को अंजाम देकर अवैध रूप से आर्थिक लाभ अर्जित करता है तथा संगठित रूप से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहता है। उक्त व्यक्ति के विरुद्ध जनपद मुरादाबाद में चोरी,नकबजनी जैसे संपत्ति संबंधी अपराधों एवं अन्य अपराधों से संबंधित कुल 09 अभियोग पंजीकृत हैं। |  |
| 10. | **अर्जनु कुमार पुत्र अमर सिंह, उम्र 40 वर्ष, (HS No.-106-A), निवासी ग्राम सरायसाधौं थाना परशुरामपुरी, जनपद शाहजहाँपुर।** उक्त व्यक्ति की आपराधिक प्रवृत्ति मुख्यतः लूट, नकबजनी जैसे संपत्ति संबंधी अपराधों में संलिप्त रहने की रही है। यह अपने साथियों के साथ मिलकर आसपास के जनपदों में भी घटनाओं को अंजाम देकर अवैध रूप से आर्थिक लाभ अर्जित करता है तथा संगठित रूप से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहता है। उक्त व्यक्ति के विरुद्ध जनपद शाहजहाँपुर में डकैती, जेब काटना, लूट एवं अन्य अपराधों से संबंधित कुल 08 अभियोग पंजीकृत हैं। |  |
| 11. | **रामनिवास उर्फ मालू पुत्र अमर सिंह उर्फ लल्लू, उम्र 40 वर्ष, (HS No.-105-A), निवासी ग्राम सरायसाधौं थाना परशुरामपुरी, जनपद शाहजहाँपुर।** उक्त व्यक्ति की आपराधिक प्रवृत्ति मुख्यतः चोरी, लूट, अवैध शराब विक्री जैसे संपत्ति संबंधी अपराधों में संलिप्त रहने की रही है। यह अपने साथियों के साथ मिलकर आसपास के जनपदों में भी घटनाओं को अंजाम देकर अवैध रूप से आर्थिक लाभ अर्जित करता है तथा संगठित रूप से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहता है। उक्त व्यक्ति के विरुद्ध जनपद शाहजहाँपुर, बदायूँ में चोरी, लूट, गैंगस्टर एक्ट एवं अन्य अपराधों से संबंधित कुल 13 अभियोग पंजीकृत हैं। |  |

**हिस्ट्रीशीटरों की निगरानी एवं पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही—**

हिस्ट्रीशीट खोले गए सभी 11 व्यक्तियों की गतिविधियों पर संबंधित थाना पुलिस द्वारा निरंतर सतर्क निगरानी रखी जाएगी। संबंधित बीट पुलिसकर्मियों द्वारा नियमित रूप से उनके निवास स्थानों पर भ्रमण कर उनकी वर्तमान गतिविधियों, रहन-सहन, व्यवसाय एवं कार्यकलापों का सत्यापन किया जाएगा तथा उनके आवागमन, संपर्कों एवं संभावित आपराधिक गतिविधियों के संबंध में आवश्यक जानकारी संकलित की जाएगी। आगामी चुनाव के दृष्टिगत विशेष सतर्कता बरतते हुए उक्त सभी व्यक्तियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, जिससे उनके द्वारा किसी भी प्रकार से चुनावी प्रक्रिया एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित न की जा सके। इसके अतिरिक्त संबंधित थाना पुलिस द्वारा नियमित गश्त एवं क्षेत्र भ्रमण, संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग तथा संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाएगी। चुनाव के दौरान शांति एवं कानून-व्यवस्था भंग करने की आशंका अथवा संलिप्तता पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक निरोधात्मक एवं अन्य विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

**शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा आगामी चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने तथा जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही एवं उनकी गतिविधियों पर सतत निगरानी जारी रहेगी।**